प्रेस–नोट

दिनांकः 08 सितम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने यूपीएसएलडीसी हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित किए

- **लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क ₹678.09 प्रति MW प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि ₹ 776.09 प्रति MW प्रति माह की माँग की गई थी।**
- **तकनीकी उन्नयन तथा साइबर हमलों के प्रति भेद्यता की जाँच हेतु निर्देश दिए गए हैं।**
- **नियुक्त कार्मिकों के कौशल-विकास एवं प्रमाणन (Certification) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।**

यूपीईआरसी ने यूपीएसएलडीसी हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित किए

1. उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (UPSLDC) ने याचिका संख्या 2231/2025 दाखिल की थी, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) तथा वित्त वर्ष 2025-26 हेतु समेकित राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं SLDC शुल्क का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित था। इस याचिका को आयोग ने 24 जुलाई, 2025 को स्वीकार किया।

   इसके उपरांत, आयोग ने सार्वजनिक परामर्श की समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए तथा 20 अगस्त, 2025 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के बाद, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश के अंतर्गत लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित कर दिए हैं, जो 08 सितम्बर, 2025 को जारी किए जा रहे हैं।

2. टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹678.09 प्रति MW प्रति माह के मासिक LDC शुल्क को अनुमोदित किया है। आयोग ने 58,694 MW की contracted/tied up capacity को, जो उपयोगकर्ता दीर्घ/मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस का उपभोग कर रहे हैं, ध्यान में रखा है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत एलडीसी शुल्क

Particulars	Units	FY 2025-26	
		Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2025-26 **(A)**	Rs. Lakh	2,617.52	2,611.84
Adjustment Gap of FY 2023-24 & FY 2024-25 **(B)**	Rs. Lakh	2,848.66	2,164.15
Net ARR to be recovered for LDC Charges 2025-26 **(C=A+B)**	Rs. Lakh	5,466.18	4,775.99
Contracted Capacity of Distribution licensees and Indian Railways and LTOA beneficiaries **(X)**	MW	35,897	35,897
Generators including thermal CPP/Solar/cogen **(Y)**	MW	22,797	22,797
Total Contracted Capacity **(Z= X+Y)**	MW	58,694	58,694
Monthly LDC Charges [C*10^5/(Z*12)]	**Rs/MW/Month**	**776.09**	**678.09**

**आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर का निर्धारण करते समय वित्त वर्ष 2024-25 गैप को संज्ञान में लिया है.*

(ii) टैरिफ आदेश दिनांक 10.10.2024 में अनुमोदित ₹536.81 प्रति MW प्रति माह से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 हेतु ₹678.09 प्रति MW प्रति माह LDC शुल्क वृद्धि का मुख्य कारण उच्च शुद्ध एआरआर (Net ARR), तथा वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर (गैप) का समायोजन है।

(iii) आयोग ने यूपीएसएलडीसी को निर्देश दिया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र SCADA/EMS उन्नयन करे, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (C-SOC) की स्थापना करे तथा साइबर सुरक्षा की निगरानी, नियमित भेद्यता आकलन (Vulnerability Assessment) और घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (Incident Response Drills) हेतु एक संरचित ढाँचा विकसित करे।

(iv) यूपीएसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईए/फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित जनशक्ति उपलब्ध हो। जेई-स्तर एवं उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए कौशल-वृद्धि (Skill Upgradation) का रोडमैप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम दो विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

(v) इसके अतिरिक्त, यूपीएसएलडीसी को निर्देशित किया जाता है कि वह सहायक सेवाओं (Ancillary Services) हेतु पर्याप्त राज्य-स्तरीय भंडार (Reserves) का सृजन एवं रखरखाव करे। माँग-पक्ष प्रबंधन विनियमन (Demand-Side Management Regulation) हेतु एक विस्तृत उन्नत वितरण प्रबंधन प्रणाली (ADMS) रोडमैप प्रस्तुत किया जाए, जिसमें यूपीपीसीएल (UPPCL) एवं यूपीपीटीसीएल (UPPTCL) का सहयोग लिया जाए।

(vi) यूपीएसएलडीसी को राज्य विद्युत समिति (State Power Committee) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

टैरिफ आदेश www.uperc.org पर अपलोड कर दिया गया है।

08/09/2025

(सुमित कुमार अग्रवाल)
सचिव